न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः डॉ.रविन्द्र गोस्वामी, I.A.S.

प्रकरण संख्या –161/2016 (आवन्टन निरस्तीकरण)
GCMS No. 2016/00310

सरकार जर्ये तहसीलदार रामगंजमण्डी जिला कोटा —प्रार्थी.

बनाम

नाराणी पुत्री रामलाल जाति चमार निवासी सुकेत तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा —अप्रार्थी.

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के अंतर्गत आवंटन निरस्त करने बाबत् ।

उपस्थित–
1 पेरोकार सरकार

निर्णय

दिनांकः– 03/02/2025

1. प्रकरण के सम्बन्ध में तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुसार आवंटी अप्रार्थी को ग्राम सुकेत के आराजी खसरा नम्बर 1105 की रकबा 0.81 हे0 भूमि दिनांक 28.2.1970 को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन की गई थी । पटवारी रिपोर्ट अनुसार आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा नहीं होने, आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की जाने से अप्रार्थी को किये गये उक्त आवंटन को आवंटन नियम 14(4) के तहत खारिज कराने हेतु प्रकरण इस न्यायालय में पेश किया गया।
2. प्रकरण पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी आवंटी की तलबी हेतु नोटिस जारी किया गया, नोटिस अदम तामिल प्राप्त, इस पर अप्रार्थीया के सम्बन्ध में एवं मौका स्थिति की रिपोर्ट तहसीलदार से तलब की गई, पटवारी हल्का सुकेत की मौका रिपोर्ट दिनांक 28.07.2024 प्राप्तशुदा है जिस अनुसार आवंटी का उक्त भूमि पर कब्जा काश्त नहीं होकर अन्य का कब्जा होना बताया है । अप्रार्थीया की तलबी नहीं हो पाने से पटवारी हल्का सुकेत की रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर निर्णय हेतु पेरोकार सरकार को सुना गया ।
3. पेरोकार सरकार द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए कथन किया है कि अप्रार्थी को ग्राम सुकेत तह0 रामगंजमण्डी की आराजी खसरा नम्बर 1105 रकबा 0.81 हे0 भूमि कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन की गई थी । आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना में कब्जा काश्त नहीं कर आवंटन शर्तो का उल्लंघन किया है । अप्रार्थीगण की तलबी नहीं हो पा रही है । पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार वर्तमान खसरा नम्बर 1105 रकबा 0.81 हे0, भूमि अप्रार्थीया के नाम गैर खातेदारी से दर्ज रेकार्ड है किन्तु अप्रार्थीया का कब्जा काश्त नहीं होकर अन्य द्वारा कब्जा काश्त की जा रही है । अतः अप्रार्थी द्वारा आवंटन शर्तो की अवहेलना की जाने से तहसीलदार रामगंजमण्डी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी के हक में किया गया आवंटन निरस्त फरमाया जावें ।

4. हमने पेशेकार सरकार की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अप्रार्थी को ग्राम सुकेत तहसील रामगंजमण्डी की खसरा 1105, रकबा 0.81 हे0, भूमि कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन की गई थी, किन्तु अप्रार्थी द्वारा आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं कर आवंटन शर्तो का उल्लंघन किया है । तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) के तहत प्रस्तुत किया है । अप्रार्थीगण की तलबी नहीं होने पर मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई, पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार आवंटित भूमि पर आवंटी द्वारा कब्जा काश्त नहीं होकर अन्य व्यक्ति द्वारा काश्त की जा रही है । इस प्रकार यह स्पष्ट हो रहा है कि आवंटी अप्रार्थीगण द्वारा आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं कर आवंटन शर्तो का उल्लंघन किया है । ऐसी स्थिति में प्रार्थी तहसीलदार रामगंजमण्डी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाते है ।

5. परिणामस्वरूप प्रार्थी तहसीलदार रामगंजमण्डी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) स्वीकार किया जाकर ग्राम सुकेत तहसील रामगंजमण्डी की आराजी खसरा नम्बर 1105 रकबा 0.81 हे0 भूमि आवंटी अप्रार्थी द्वारा कब्जा काश्त नहीं की जाने से आवंटन शर्तो का स्पष्ट उल्लंघन है । अतः अप्रार्थी के हक में दिनांक 28.02.1970 को किया गया कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन निरस्त किया जाकर तहसीलदार रामगंजमण्डी को आदेश दिये जाते है कि उक्त भूमि सिवायचक दर्ज करते हुए कब्जेराज लेवें ।

6. निर्णय आज दिनांक 03.02.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(डॉ. रविन्द्र गोस्वामी)
जिला कलक्टर, कोटा